परिचायक-टिप्पणी

जहां तक व्यय संबंधी व्यवस्थाओं का संबंध है यह पुस्तक केन्द्रीय सरकार के बजट का एक व्याख्यात्मक ज्ञापन है। इसे तीन भागों अर्थात्, भाग-I सामान्य, भाग-II आयोजना-भिन्न व्यय, और भाग-III आयोजना परिव्यय में बांटा गया है। विवरण और अनुबन्ध, जो इस पुस्तक का एक हिस्सा है., स्वतः स्पष्ट हैं और उनका उल्लेख आलेख में यथास्थान किया गया है। विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के मामले में विभिन्न विवरणों में शामिल की गई व्यय व्यवस्थाएं वसूलियां और प्राप्तियां घटाकर दिखाई गई हैं ताकि व्ययों और प्राप्तियों के आंकड़ों का बहुत अधिक विस्तार न हो। इसी प्रकार, राज्यों को दिए गये ऐसे अल्पावधिक ऋणों और अग्रिमों को, जिनको उसी वर्ष के दौरान वसूल कर लिया गया है, घटाकर प्रदर्शित किया गया है।

2. इस पुस्तक में प्रस्तुत व्यय के अनुमानों में, रेलवे मंत्रालय के लेन-देनों के विस्तृत विश्लेषण को सम्मिलित नहीं किया गया है। किन्तु संविधान के अनुच्छेद 112 के अन्तर्गत अलग से प्रस्तुत वार्षिक वित्तीय विवरण में रेलवे मंत्रालय सहित केंद्रीय सरकार के समस्त मंत्रालयों/विभागों का व्यय शामिल किया गया है।

3. संविधान के अनुच्छेद 113 के अन्तर्गत अलग से प्रस्तुत अनुदानों की मांगों के द्वारा संसद की स्वीकृति व्यय की "सकल" राशियों के लिए मांगी गई है, जिनमें उन "वसूलियों" को हिसाब में नहीं लिया गया है जिन्हें खातों में व्यय में से घटाकर प्रदर्शित किया जाता है। इन वसूलियों की राशियों को अनुदानों की सम्बन्धित मांगों में भी दिखाया गया है। खाते में प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत व्यय को, इन वसूलियों को घटाने के बाद, वार्षिक वित्तीय विवरण में प्रदर्शित किया गया है। जैसाकि ऊपर बताया गया है, व्यय की विभिन्न मदों को समुचित रूप में स्पष्ट करने के लिए, इस पुस्तक में, कुछ ऋण-भिन्न प्राप्तियों को भी घटाया गया है। इस पुस्तक के अनुबंध-1 में खाते के प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत इस प्रकार के समायोजनों के बाद व्यय को दिखाया गया है। अनुबंध 2 में अनुबन्ध 1 में दिए गए जोड़ों तथा वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए गए व्यय के जोड़ों और अनुदानों की मांगों का मिलान किया गया है।

4. 2016-17 का आयोजना प्राक्कलन केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के यौक्तिकीकरण हेतु गठित मुख्यमंत्रियों के उपसमूह द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर संशोधित वित्तपोषण पैटर्न के आधार पर लगाया जाना है। सरकार के निर्णय के अनुसार, 'कोर ऑफ द कोर' स्कीमों के रूप में परिभाषित अनेक स्कीमों के संबंध में मौजूदा वित्तपोषण पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसी स्कीमों की एक सूची अनुबंध 'क' पर भी संलग्न है।

5. कोर स्कीमें जो राष्ट्रीय विकास एजेंडा में भी शामिल की गई हैं, से संबंधित वित्तपोषण पैटर्न के अनुसार वित्तपोषण की राशि का केंद्र और राज्यों द्वारा 60:40 के अनुपात (8 पूर्वोत्तर राज्यों तथा 3 हिमालय क्षेत्रीय राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात) में साझा किया जाएगा। ऐसी स्कीमों की एक सूची अनुबंध 'ख' पर दी गई है।

6. यदि उपर्युक्त सूची में शामिल की गई किसी स्कीम/उप-स्कीम में 60:40 से कम का केंद्रीय वित्तपोषण पैटर्न अपनाया जाता हो तो मौजूदा वित्तपोषण पैटर्न को जारी रखा जाएगा। अनुबंध में सूचीबद्ध अन्य वैकल्पिक स्कीमें राज्य सरकारों के लिए वैकल्पिक होंगी तथा उनका केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा वित्तपोषण पैटर्न 50:50 के अनुपात (8 पूर्वोत्तर राज्यों तथा 3 हिमालय क्षेत्रीय राज्यों के लिए 80:20 के अनुपात) में होगा।

7. अवसंरचना क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को और अधिक बढ़ावा देने के लिए निर्णय लिया गया है कि कुछ चुनिंदा मंत्रालयों के अधीनवर्ती सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के जरिए बांड जारी करके लगभग ₹ 31,300 करोड़ तक का अतिरिक्त संसाधन जुटाया जाए। इस प्रकार जुटाई गई राशि का ब्योरा अनुबंध 'ग' में दिया गया है।

8. कार्यक्रमों तथा स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रभावी परिणाम आधारित मानिटरिंग तथा संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए, सभी मंत्रालयों और विभागों की आयोजना तथा आयोजना-भिन्न स्कीमों को युक्तिसंगत बनाने का कार्य किया गया है। मौजूदा कार्यक्रमों और स्कीमों को परिणाम आधारित अंब्रेला कार्यक्रम तथा संसाधनों के विरल वितरण न होने देने की स्कीम के रूप में पुनर्संगठित किया गया है। स्कीमों के युक्तियुक्त सेट से मंत्रालयों/विभागों की संगत विस्तृत अनुदान मांगों में उल्लिखित स्कीमों/उप-स्कीमों के आमेलन का मार्ग प्रशस्त होगा ताकि स्कीमों/कार्यक्रमों के लिए एक अधिक संगत रूपरेखा तैयार की जा सके। इससे मंत्रालयों/विभागों को स्कीमों के निष्पादन के लिए अधिक लोच प्राप्त होगा।

9. बजटीय आवंटन की अधिक पूर्ण तस्वीर प्रस्तुत करने तथा बजट के निष्पादन के संबंध में अधिक प्रभावी समीक्षा करने की दृष्टि से किसी एक मंत्रालय के पृथक प्रशासनिक यूनिटों की कुछ अनुदान मांगों को मुख्य मंत्रालय/विभाग की अनुदान मांग के साथ आामेलित/सम्मिलित कर दिया गया है। तदनुसार, प्राक्कलन समिति के अनुमोदन से अनुदान मांगों की संख्या 2016-17 के बजट में 109 से घटकर 98 रह गई है।

10. ब.अ. (2016-17) में इस दस्तावेज में निम्नलिखित नए विवरण जोड़े गए हैं।

(i) स्वायत्त गारंटी निकायों को दी जाने वाली सहायता

(ii) लोक लेखा में प्रचालित मुख्य आरक्षित निधियों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण